न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 24/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		लक्ष्मणसिंह पुत्र ओनाड़सिंह कौम राजपूत निवासी सेवरिया तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 15/3/21

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 162 कुल रकबा 26–15 बीघा किस्म गै.मु. बाला में से 1–10 बीघा भूमि का अप्रार्थी को आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 162/3 पड़े, को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं बहस अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 162 कुल रकबा 26–15 बीघा किस्म गै.मु. बाला में से 1–10 बीघा भूमि का किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी को आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 162/3 पडे, जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार खसरा नम्बर 162 गैर मुमकिन बाला दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश राजस्व/89/1294–95 दिनांक 06.07.1989 के द्वारा किस्म परिवर्तन भी नहीं कर गै.मु. बाली का आवंटन कर दिया गया है। गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश राजस्व/89/1294–95 दिनांक 06.07.1989 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 1066 दिनांक 25.07.1989 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1349 व 1507 को भी निरस्त करवाकर भूमि पुनः गैर मुमकिन बाली दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के हक में किया गया, आवंटन विधीनुरूप है, उक्त आ... अप्रार्थी का वक्त आवंटन से ही कब्जा है व उस पर वह काश्त ... का हिस्सा नहीं है तथा न ही अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है। अप्रार्थी के पास उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2021.08.16 19:25:13 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

भूमि के अलावा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 162 कुल रकबा 26–15 बीघा किस्म गै.मु. बाला में से 1–10 बीघा भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 162/मी तथा बाद में 162/3 पडे, जो पत्रावली संलग्न नामान्तरकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 162 गैर मुमकिन बाला दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी ने जरिये आदेश राजस्व/89/1294–95 दिनांक 06.07.1989 के द्वारा किया गया है, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1066 दिनांक 25.07.1989 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया, तथा उसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1349 के द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त दोनों नामान्तरकरणों में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म गैर मुमकिन बाला ही दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2065 से वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन बाला दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया खारीज योग्य है। अतः उपखण्ड अधिकारी ने जरिये आदेश राजस्व/89/1294–95 दिनांक 06.07.1989 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1066 दिनांक 25.07.1989 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 1349 व 1507 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के लक्ष्मणसिंह पुत्र ओनाड़सिंह निवासी सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी ने जरिये आदेश राजस्व/89/1294–95 दिनांक 06.07.1989 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1066 दिनांक 25.07.1989 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 1349 व 1507 को निरस्त फरमाकर दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है एवं जैर प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 162/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को किस्म गै0मु0 बाली को राजकीय खाते में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सेवामें सादर प्रेषित है।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:25:13 IST
Reason: SelfAttested